

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) ग्राम पंचायत बड़ौली

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. छुट्टनलाल पुत्र रामसहाय, जाति मीना, निवासी बड़ौली
2. केशुराम पुत्र गोपाल, जाति मीना, निवासी बड़ौली
3. विजयराम पुत्र गोपाल, जाति मीना, निवासी बड़ौली
4. गोविन्द पुत्र गोपाल, जाति मीना, निवासी बड़ौली

—प्रार्थीगण

बनाम

1. रतन पुत्र मांग्या, जाति मीना, निवासी बड़ौली —मृतक
- 1/1 श्रीमती विद्या पत्नी रतन, जाति मीना, निवासी बड़ौली
- 1/2 रामप्रकाश पुत्र रतन, जाति मीना, निवासी बड़ौली
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर

—अप्रार्थीगण

मुकदमा नं. — 17/2009

निर्णय की दिनांक —02.05.2018

वादीगण की ओर से छुट्टन, केशुराम, विजयराम एवं प्रतिवादीगण की ओर से विद्या देवी, की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.05.2018 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वाद वादीगण विद्वावल के आधार पर नया दावा पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार वजीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह स्वयं की अध्यक्षता में टीम का गठन कर भूमि खसरा नंबर 2764 व 2767 ग्राम बड़ौली का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमा चिन्हों से अवगत कराये। सीमाज्ञान के पश्चात् यदि किसी अन्य पक्षकार का कब्जा पाया जाता है तो वह हटा लेवे। यदि कब्जा नहीं हटाया जाता है तो पक्षकार नया दावा पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

राजीनामा निर्णय का जुज पोरशन रहेगा।

मुनिदेव यादव
सहायक कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	